मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59 "सी" विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक / 5004 / MGNREGS-MP / वित्त एवं लेखा / 2012 भोपाल, दिनांक 23/05/12

प्रति,

कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मां गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला समस्त (म.प्र.)

विषय :– राज्य स्तारीय क्वालिटी मॉनिटर्स के पारिश्रमिक भत्ता एवं यात्रा के देयकों के संबंध में।

––00––

विषयांतर्गत मनरेगा कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु विभिन्न राज्य स्तरीय क्वालिटी मॉनिटर्स नियुक्त किये जाते हैं। उनके पारिश्रमिक भत्ते एवं यात्रा देयकों का सीधे उनके खाते में भुगतान हो सके। इस हेतु निम्न व्यवस्था आदेशित की जाती है।

1. पूर्व की भांति ही क्वालिटी मॉनिटर्स अपने यात्रा देयक परिषद् मुख्यालय भोपाल में प्रस्तुत करेंगे।
2. क्वालिटी मॉनिटर्स अपने यात्रा देयक के साथ ही निम्न जानकारी उपलब्ध करायेगें।
   (अ) खाता नम्बर
   (ब) बैंक शाखा का नाम एवं जिला
   (स) बैंक शाखा का कोड
   (द) IFSC कोड
3. परिषद् मुख्यालय भोपाल द्वारा, संबंधित क्वालिटी मॉनिटर का देयक परीक्षण करने के उपरांत संबंधित जिले को जहां का पर्यवेक्षण संबंधित क्वालिटी मॉनिटर ने किया है को बिन्दु 2 की जानकारी के साथ ही देय राशि की सूचना दी जायेगी एवं संबंधित क्वालिटी मॉनिटर को भी सूचित किया जायेगा।
4. संबंधित जिला परिषद् से सूचना मिलने पर तत्काल RTGS के माध्यम से संबंधित क्वालिटी मॉनिटर के बैंक खाते में राशि स्थानांतरण की कार्यवाही करेगा एवं पत्र द्वारा भी संबंधित क्वालिटी मॉनिटर एवं परिषद् को अवगत करायेगा।
5. संबंधित जिला यह व्यय प्रशासनिक व्यय गतिविधि के अंतर्गत D-6 Remuneration and TA Bills of State Quality Monitors नाम की नई गतिविधि खोलकर उसमें समाहित करेगा।

(नीरज मण्डलोई)
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय, भोपाल

पृ.क्र. / 5005 / MGNREGS-M.P / वित्त एवं लेखा / 2012 भोपाल, दिनांक 23/05/12

प्रतिलिपि :–

1. कार्यपालन यंत्री (क्वालिटी मॉनिटर) म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार व्यवस्था के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय, भोपाल